

रायपुर में बाल मेले का आयोजन



रायपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की साझेदारी में यूनिसेफ राज्य के 13 जिलों में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान का आयोजन कर रहा है। सुरक्षित पारा सुरक्षित लईकोमान अभियान का शुभारंभ रायपुर जिले में किया गया। अभियान के अंतर्गत पहले कार्यक्रम “बाल मेला” का आयोजन आज पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षा गृह में किया गया।

कार्यक्रम में श्री प्रमोद दुबे जी, मेयर रायपुर नगर निगम, मुख्य अतिथि के उपस्थित थे। शुभारम्भ सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री प्रमोद दुबे जी ने एनएसएस और यूनिसेफ की इस पहल की सराहना करते हुए कहा की ऐसे अभियान से जुड़ कर कैडेट्स देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और साथ ही ऐसे नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे जहा बाल शोषण और हिंसा का कोई अस्तित्व न हो। इस अवसर पर, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ कम्युनिकेशन अफसर श्री सैम सुधीर बंदी और एनएसएस कोऑर्डिनेटर सुश्री नीता वाजपेयी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री केशरी लाल वर्मा, कुलपति पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ने की।

बच्चे शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण का सामना करते हैं और उनमें से कई अपने घरों, स्कूलों और समुदायों में असुरक्षित महसूस करते हैं। हिंसा के दुखद परिणाम बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे पारित किया जा सकता है। बच्चों के खिलाफ हिंसा के विषयों पर जागरूकता पैदा करने और समुदाय, हितधारकों और सरकार के विभागों के बीच एक निरंतर और सार्थक जुड़ाव विकसित करने के लिए, यूनिसेफ और एनएसएस बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान का आयोजन कर रहे हैं। “सुरक्षित पारा, सुरक्षित लईकोमान” – इस अभियान का उद्घाटन आज रायपुर में किया गया।

अभियान जिले :

यह अभियान राज्य के 13 जिलों में होगा अंबिकापुर बस्तर बीजापुर दुर्ग दंतेवाड़ा कांकेर कोंडागांव कोरबा महासमुंद राजनांदगांव रायपुर नारायणपुर और सुकमा।

अभियान की मुख्य विशेषताएं :

यह अभियान दोतरफा दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित है ; महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के हितधारकों विभागों के अधिकारियों की जागरूकता और निर्माण क्षमता।

1. बाल मेला

बाल मेला प्रत्येक जिलों में आयोजित किया जाएगा और एनएसएस स्वयंसेवकों, एनवाईकेएस नेताओं, एनसीसी कैडेटों और स्कूली बच्चों को बाल अधिकारों को समझने का अवसर प्रदान करेगा

2. गांवों में अभियान की पहल :

अभियान के हिस्से के रूप में, स्वयंसेवक विभिन्न हितधारक विभागों के अधिकारियों जैसे आंगनवाड़ियों श्रमिकों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समितियों, पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बच्चों के साथ जुड़ेंगे। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने पर ध्यान देने के साथ बाल अधिकारों पर उन्हें उन्मुख करने के लिए स्कूल के छात्रों के साथ स्वयंसेवक भी जुड़ेंगे। स्वयंसेवक हितधारकों विभागों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ संबंधित गांवों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। स्वयंसेवकों को आंगनवाड़ियों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस और अन्य में उपलब्ध विभिन्न बाल-विशिष्ट सेवाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। समूह बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग, रेफरल और पते पर ध्यान केंद्रित करेगा

3. हितधारकों के साथ जिला और राज्य परामर्श:

बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए और एक रोड मैप बनाने के लिए, हितधारक विभागों, गैर सरकारी संगठनों, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस और अन्य के लिए अभियान जिलों में परामर्श आयोजित किया जाएगा। परामर्श जागरूकता बढ़ाने और रिपोर्टिंग और संबोधित तंत्र को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।